

Dy No - 129

Special Seal Authority



पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0)-द्वितीय

20 सरोजनी नायडू मार्ग 30प्र0, प्रयागराज

Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

पत्रांक- पेंशन विविध/DRY No.- 2254

दिनांक :- 15/05/2024

सेवा में,

Sr. AO/Pension,
AG(A&E) Uttarakhand,
Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh,
Dehradun-248195

शासनादेश :- 9/2024/आई/ 522016/2024 /फा0नं0-10-22099/ 409/2020 लखनऊ,

दिनांक 16/03/2024

महोदय,

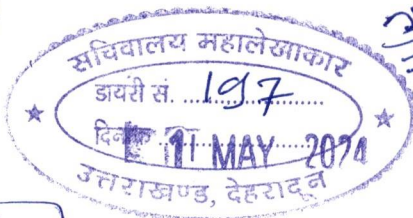
उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सम्बन्धित कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

DRY / Ashu

Sr. A.O. / Pension



वरि0 लेखाधिकारी / पेंशन विविध

अवदीय

वरि. उप महालेखाकार (प्रशा. व ले.) प्रकाश
ए.जी./डी.ए.जी. डायरी सं. 443
दिनांक 22.04.24

DR-22

8/5/24

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-9/ 2024/ आई/522016/2024/ फा0नं0-10-22099/ 409/ 2020

लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च, 2024

उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं कोषाधिकारियों को भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-42/04/2024-पी0एण्डपी0डब्लू0(डी0) दिनांक 13 मार्च, 2024 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को उक्त आदेशानुसार महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, पेंशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- समस्त राज्यों के प्रमुख सचिव, वित्त।

आशा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

No. 42/02/2024-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date :- 13th March, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.01.2024-reg

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/04/2023-P&PW(D) dated 27.10.2023 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of 46% to 50% of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) w.e.f 01st January, 2024.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

- (i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D) Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
- (ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
- (iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.
- (iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.
- (v) Pensioners who are in receipt of provisional pension.
- (vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. The payment of arrears of Dearness Relief shall not be made before the date of disbursement of pension/family pension of March, 2024.

5. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

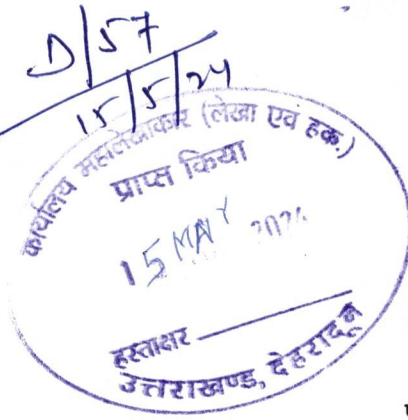
Contd/....

6. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.
7. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.
8. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.
9. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.
10. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/1/2024-E-II (B) dated 12.03.2024.

Hindi version will follow.


(Ravinder Kumar) 13/3/24
Director

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks.
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

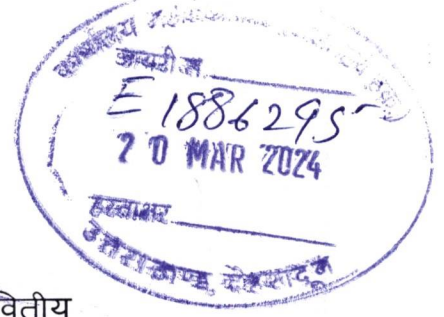


पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0)-द्वितीय

20 सरोजनी नायडू मार्ग 30प्र0, प्रयागराज

Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402



पत्रांक- पेंशन विविध/DRY No.- 6966

दिनांक :- 02/05/24

सेवा में,

Sr. AO/Pension,
AG(A&E) Uttarakhand,
Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh,
Dehradun-248195

वर्ति: उप महालेखाकार (प्रशा. व ले.) प्रकाश
ए.जी./डी.ए.जी. डायरी सं. 640
दिनांक 16/05/24

विषय :- द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा सेवारत न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं पेंशन-भोगियों हेतु की गयी भत्ते से संबन्धित संस्तुतियों के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या- 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/01/2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या :- 140/दो-4-2024-45(1)/2020 टी0सी0 नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ,
दिनांक 28/02/2024

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

15/5/24
15/5/24

Sr. AO/Pension
22/5/24

PK 38
22/5/24

भवदीय
वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन विविध

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,

मा० उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 26 फरवरी, 2024

विषय:-द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा सेवारत न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं पेंशन-भोगियों हेतु की गयी भत्ते से संबंधित संस्तुतियों के संबंध में रिट याचिका (सिविल) संख्या- 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

सुसंगत संदर्भ:-

विषयगत प्रकरण से संबंधित प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में जारी किये गये पूर्व शासनादेशों का विवरण-

- (1) शासनादेश सं०- 6058/दो-4-05-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 07.07.2006
- (2) शासनादेश सं०- 5207/दो-4-06-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 27.07.2006
- (3) शासनादेश सं०- 35/दो-4-08-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 08.01.2008
- (4) शासनादेश सं०- 930/दो-4-08-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 11.04.2008
- (5) शासनादेश सं०- 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 13.05.2009
- (6) शासनादेश सं०- 4458/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी.1, दिनांक 28.01.2010
- (7) शासनादेश सं०- 793/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 30.04.2010
- (8) शासनादेश सं०- 1420/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 31.05.2010
- (9) शासनादेश सं०- 2123/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 16.10.2010
- (10) शासनादेश सं०- 2123(2)/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 16.10.2010
- (11) शासनादेश सं०- 2123(4)/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 16.10.2010
- (12) शासनादेश सं०- 2977/दो-4-10-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 04.11.2010
- (13) शासनादेश सं०- 8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 13.04.2018
- (14) शासनादेश सं०- 914/दो-4-2018-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 10.08.2018
- (15) शासनादेश सं०- 361/दो-4-2021-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 31.08.2021
- (16) शासनादेश सं०- 50/दो-4-2022-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 16.02.2022

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायाधीश श्री पी0 वी0 रेड्डी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा सेवारत न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं पेंशन-भोगियों हेतु भत्ते से संबंधित की गयी संस्तुतियों के संबंध में रिट याचिका (सिविल) संख्या- 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन में श्री राज्यपाल द्वारा निम्नानुसार भत्ते/सुविधाएं अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए)

- (क) भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा गृह निर्माण अग्रिम के भुगतान के लिए दिनांक 9 नवंबर 2017 को निर्गत ओ0एम0 सं0-1.17011/11(4)/2016-एच-III के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की भांति न्यायिक अधिकारियों को भी गृह निर्माण अग्रिम दिया जाना अनुमन्य होगा।
- (ख) मा0 उच्च न्यायालय की अनुमति से निजी व्यक्ति से भी आवास के क्रय हेतु गृह निर्माण अग्रिम दिया जाना अनुमन्य होगा।

2. बाल शिक्षा भत्ता (सीईए)

- (क) न्यायिक अधिकारियों को कक्षा 12 तक, दो बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) के रूप में 2,250 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा और छात्रावास अनुदान (सब्सिडी) के रूप में 6,750 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा देय होगा।
- (ख) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, उपर्युक्त भत्ते की प्रतिपूर्ति दोगुने दर पर की जाएगी।
- (ग) जब महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाएगा, तो देय भत्ते और अनुदान (सब्सिडी) की राशि 25% बढ़ जाएगी।
- (घ) शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से उक्त भत्ते एवं अनुदान (सब्सिडी) का भुगतान किया जायेगा।
- (ङ) यदि पति एवं पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो ऐसी स्थिति में उनमें से मात्र एक ही व्यक्ति बाल शिक्षा भत्ता (सी0ई0ए0) की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेगा।

3. नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए)

- (क) नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) इस शासनादेश के लागू होने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- (ख) यद्यपि नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) समाप्त होने के उपरान्त इस भत्ते के अंतर्गत पूर्व में की गयी भुगतान की राशि की वसूली नहीं की जाएगी।

4. अतिरिक्त प्रभार भत्ता

- (क) न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि दस कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए दिया जाता है तो उन्हें अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा निर्धारित मानक अब समाप्त समझे जायेंगे तथा अतिरिक्त प्रभार भत्ता हेतु दिनों की संख्या, न्यायिक कार्य की मात्रा और प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में, मानक का निर्धारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त अतिरिक्त प्रभार भत्ता दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य होगा।

5. वाहन/परिवहन भत्ता (टीपी)

(क) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के लिए परिवहन भत्ता छोड़े जाने की शर्त पर पूल-कार की सुविधा अधिकतम 02 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जायेगी।

(ख) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपने नाम या उनके पति/पत्नी के नाम पर चार पहिया वाहन है, उन्हें उक्त वाहन के रख-रखाव और वाहन चालक के वेतन के लिए दिनांक 01.01.2016 से प्रति माह रुपये 10,000/- की दर से और दिनांक 01.01.2021 से बढ़ाकर रुपये 13,500/- परिवहन भत्ता दिया जाता अनुमन्य होगा।

(ग) परिवहन भत्ते के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में 100 लीटर पेट्रोल/डीजल तथा अन्य क्षेत्रों में 75 लीटर पेट्रोल/डीजल की कीमत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। उपरोक्त पेट्रोल/डीजल के कीमत की प्रतिपूर्ति स्वप्रमाणपत्र के आधार पर की जायेगी।

(घ) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना चार पहिया वाहन नहीं है और वे पूल कार सुविधा का लाभ भी नहीं उठा रहे हैं, ऐसे न्यायिक अधिकारी भी उपरोक्तानुसार परिवहन भत्ता पाने के हकदार होंगे, लेकिन वे ईंधन भत्ता के पात्र नहीं होंगे।

(ङ) उपरोक्त परिवहन भत्ता एवं ईंधन भत्ता उन न्यायिक अधिकारियों को उक्त अवधि के लिए देय नहीं होगा जिस अवधि में उन्होंने शासकीय वाहन का उपयोग किया है या उपयोग किया जा रहा है।

(च) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद, निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारी आधिकारिक वाहनों के लिए पात्र थे, अर्थात् प्रधान जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिटी सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और लघु वाद न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। इन पदाधिकारियों के अलावा, तीन और न्यायिक पदाधिकारी अर्थात् न्यायिक अकादमी/न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक, पारिवारिक न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी आधिकारिक वाहनों के लिए पात्र होंगे। राज्य की वित्तीय क्षमता के आधार पर उक्त अधिकारियों की सूची में कटौती करने का अधिकार मा0 उच्च न्यायालय को होगा।

(छ) शासकीय कार्यों के प्रयोग के सम्बन्ध में आधिकारिक कारों के लिए पेट्रोल/डीजल की मात्रा, संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने और लॉग बुक के आधार पर, वास्तविक खपत की सीमा तक अनुमन्य होगा। निजी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक कारों का उपयोग प्रति माह 300 किलोमीटर की सीमा तक किया जाना अनुमन्य होगा।

- (ज) आधिकारिक वाहन के निजी उद्देश्यों के प्रयोग के सम्बन्ध में गणना अर्द्धवार्षिक आधार पर की जायेगी।
- (झ) न्यायिक अधिकारियों को कार खरीदने के लिए मामूली ब्याज पर दस लाख रुपये तक की आसान ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। ब्याज की दर तथा ऋण अदायगी की शर्तें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा शासन के वित्त विभाग से विचार-विमर्श करके निर्धारित की जायेंगी। ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जायेगी।

6. महंगाई भत्ता

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.07.2023 द्वारा महंगाई भत्ता लागू किया जा चुका है, जिसमें उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यरत न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा पारिवारिक पेंशन-भोगियों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार देय/अनुमन्य होगा।

7. अर्जित अवकाश नकदीकरण

- (क) सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा होगी।
- (ख) न्यायिक अधिकारी अवकाश नकदीकरण का हकदार होगा:-
- (ए) यात्रा अवकाश (एल0टी0सी0) के लिए 10 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य होगा। सम्पूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम 60 दिन (एक बार में 10 दिन तथा छह अवसरों तक) का लाभ देय होगा।
- (बी) दो वर्ष के ब्लॉक में 30 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य होगा।
- (सी) न्यायिक अधिकारियों को प्रदत्त उपर्युक्त (ए) तथा (बी) सुविधायें सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों के अर्जित अवकाश नकदीकरण दिये जाने की सुविधा के अतिरिक्त होंगे।
- (ग) ऐसे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों जिन्हें उपर्युक्त (ए) तथा (बी) में उल्लिखित अवकाश नकदीकरण के दिनों को काटने के कारण सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य 300 दिनों से कम दिनों का नकदीकरण दिया गया है, को अन्तर का भुगतान इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 03 महीने की अवधि के भीतर किया जायेगा।

8. बिजली और जल का शुल्क

- (क) न्यायिक अधिकारियों को बिजली और जल शुल्क के भुगतान का 50 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित सीमा के अन्तर्गत अनुमन्य होगी:

पदनाम	बिजली इकाइयाँ	जल की मात्रा
जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर)	8000 यूनिट प्रति वर्ष	420 किलोलीटर प्रति वर्ष
सिविल जज (जूनियर और सीनियर डिवीजन)	6000 यूनिट प्रति वर्ष	336 किलोलीटर प्रति वर्ष

- (ख) पंजली और जल के बिलों की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक आधार पर बिल भुगतान की रसीद प्रस्तुत किये किये जाने पर की जायेगी।
- (ग) यह भत्ता दिनांक 01.01.2020 से बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य होगा।

9. उच्च योग्यता भत्ता

- (क) न्यायिक अधिकारियों को उच्च योग्यता अर्थात् कानून में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी तथा कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने पर एक और अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी।
- (ख) कानून में स्नातकोत्तर डिग्री या डॉक्टरेट के लिए एक बार अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के उपरान्त यदि भविष्य में किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की जाती है तो दुबारा कोई अग्रिम वेतन वृद्धि दिया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- (ग) उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां उन न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने भर्ती से पहले या भर्ती के बाद सेवा में रहते हुए किसी भी समय पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री या डॉक्टरेट उपाधि हासिल की हो।
- (घ) यदि न्यायिक अधिकारी ने भर्ती के पहले ही स्नातकोत्तर डिग्री या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली है तो प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से तथा यदि सेवा में शामिल होने के बाद स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट उपाधि अर्जित की है, तो स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने की तारीख से उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां देय होगी।
- (ङ) न्यायिक अधिकारियों को उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां उपलब्ध कराई जायेंगी यदि उनके द्वारा उच्च योग्यता नियमित अध्ययन (पूर्णकालिक या अंशकालिक) के माध्यम से या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से हासिल की गयी हो।
- (च) उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ एसीपी स्तर (एसीपी I या II) पर भी देय होगा। सिविल जज (जूनियर डिविजन) से सिविल जज (सीनियर डिविजन) और सिविल जज (सीनियर डिविजन) से जिला जज कैडर पर पदोन्नति के समय भी उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ अनुमन्य होगा।
- (छ) इसी प्रकार जिला न्यायाधीश संवर्ग में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) से जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) और जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) से जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) में उन्नयन के समय भी अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ अनुमन्य होगा।
- (ज) सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां वेतन का हिस्सा होगी और महंगाई भत्ता उसी पर देय होगा।

10. पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थाना भत्ता

- (क) पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थान में नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को 5000/- रुपये प्रतिमाह की दर से पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थान भत्ता अनुमन्य होगा।
- (ख) उक्त भत्ता दिनांक 01.01.2016 से देय होगा।
- (मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थान के रूप में वर्गीकरण योग्य स्थानों का निर्धारण किये जाने पर)

11. घरेलू सेवक/घरेलू सहायता भत्ता

(क) सेवारत न्यायिक अधिकारियों को गृह-सह-कार्यालय अर्द्धली भत्ता निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध होगा:-

जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर): अकुशल कामगार के लिए निर्धारित प्रतिमाह न्यूनतम वेतन अथवा रुपये 10000 प्रति माह, दोनों में जो अधिक हो।

सिविल जज (जूनियर और सीनियर डिवीजन): अकुशल कामगार के लिए निर्धारित प्रतिमाह न्यूनतम वेतन का 60% अथवा रु. 7,500/- प्रति माह, दोनों में जो अधिक हो।

(ख) उपरोक्त दरों पर घरेलू सेवक/घरेलू सहायता भत्ता सेवारत न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 01-01-2020 से देय होगा।

(ग) घरेलू सेवक भत्ते के भुगतान के परिणामस्वरूप रात के दौरान कार्यालय के चपरासी/अटेंडर या अन्य समूह 'घ' के कर्मचारी को उनके आवास पर तैनात करने की व्यवस्था, यदि कोई हो तो बंद नहीं होगी।

(घ) कार्यालय के चपरासी/परिचारक या ऐसे अन्य समूह 'घ' कर्मचारी जो आमतौर पर अशांत या सुरक्षा जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले न्यायिक अधिकारी के आवास पर रात्रि ड्यूटी के लिए तैनात किए जायेंगे। समूह 'घ' कर्मचारी के अभाव में ऐसे क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती की जाएगी।

(च) ऐसे कर्मियों को प्रधान जिला न्यायाधीश या प्रशासनिक जिम्मेदारियां रखने वाले समकक्ष रैंक के अधिकारी के आवास पर भी तैनात किया जायेगा।

(छ) ऐसे आवासीय कर्तव्यों के लिए चपरासी/परिचारकों की तैनाती समूह 'घ' /चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की उपलब्धता के अधीन होगी जिससे कि न्यायालय से संबंधित कर्तव्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।

(ज) पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को घरेलू सहायता भत्ता दिनांक 01.01.2016 से निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध होगा:

पेंशनभोगी : रु 9,000/- प्रति माह

पारिवारिक पेंशनभोगी : रु 7,500/- प्रतिमाह

(झ) पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए दिनांक 01.01.2016 से पांच वर्ष पूरे होने के दिनांक 01.01.2021 से यह भत्ता 30% बढ़ जाएगा।

(ट) उपर्युक्त भत्ता न्यायिक अधिकारी/ पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के स्व-प्रमाणपत्र के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

12. मकान किराया भत्ता और आवासीय क्वार्टर

(ए) आवासीय क्वार्टर

न्यायिक अधिकारी को पद का कार्यभार संभालने के एक महीने के भीतर आवास या अपेक्षित निजी आवास उपलब्ध कराया जायेगा। यदि न्यायिक अधिकारी को एक महीने के भीतर सरकारी आवास या अपेक्षित निजी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो न्यायिक अधिकारी निजी आवास स्वयं ले सकते हैं और उसे निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किराया देना होगा:-

- (ब) यदि निजी आवास का किराया प्रस्तर-12(बी) में उल्लिखित अनुमन्य मकान किराया भत्ते के भीतर है, तो किराए के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, परन्तु संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा भुगतान किए जा रहे वास्तविक किराए को प्रमाणित करना होगा।
- (ख) यदि निजी आवास का किराया अनुमन्य मकान किराया भत्ते से अधिक है, तो किराए का मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की सहायता से प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।
- (ग) यदि अनुमन्य मकान किराया भत्ता और मूल्यांकन किए गए किराए के बीच का अंतर 15% से अधिक है तो संबंधित अधिकारी द्वारा अन्तर की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु सहमति प्रदान न किये जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर प्रधान जिला न्यायाधीश उक्त राशि के भुगतान की मंजूरी प्रदान करेंगे। यदि ऐसी भिन्नता 15 प्रतिशत से कम है तो उच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
- (घ) आवासीय व्यवस्था के लिए न्यूनतम प्लिथ क्षेत्रफल जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर) के लिए 2500 वर्ग फुट और सिविल न्यायाधीश (जूनियर और सीनियर डिवीजन) के लिए 2000 वर्ग फुट होगा। यद्यपि, मा0 उच्च न्यायालय प्रशासन के पास उच्च प्लिथ क्षेत्रफल के साथ डिजाइन को मंजूरी देने का विवेकाधिकार होगा।
- (बी) मकान किराया भत्ता
- (क) जिन न्यायिक अधिकारियों को निवास के लिए आधिकारिक क्वार्टर आवंटित किया गया है, वे मकान किराया भत्ता के हकदार नहीं होंगे।
- (ख) उच्च न्यायालय की अनुमति से माता-पिता या पति/पत्नी के घर सहित अपने स्वयं के घरों में रहने वाले न्यायिक अधिकारी भी दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य मकान किराया भत्ता के हकदार होंगे। पहले से ही किराए के आवास में रहने वाले न्यायिक अधिकारी दिनांक 01.01.2020 से अनुमन्य मकान किराया भत्ता के हकदार होंगे, जो उक्त सीमा के भीतर भुगतान किए गए वास्तविक किराए के अधीन होगा।
- (ग) जिला न्यायाधीश या समकक्ष का कार्यालय सीधे मकान मालिक को किराया भुगतान करेगा तथा ऐसे मामलों में अधिकारी मकान किराया भत्ता आहरित करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (घ) द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की मकान किराया भत्ता दरें केंद्र सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के बाद जारी दिनांक 07.07.2017 की अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों पर लागू होंगी:-
- | | |
|-------------------|--|
| शहरों का वर्गीकरण | मूल वेतन के % के रूप में एचआरए/प्रति माह की दरें |
| X | 24% |
| Y | 16% |
| Z | 8% |
- हालांकि न्यूनतम निर्धारित दरें क्रमशः 5400/-, 3600/- और 1800/- हैं।
- (ङ) महंगाई भत्ते में बदलाव के अनुसार मकान किराया भत्ता (एचआरए) की दरों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाएगा:-

शहरों का वर्गीकरण

मूल वेतन के % के रूप में महंगाई भत्ते की दृष्टि
एवआरए/प्रति माह की दरें

भार करने पर

X	27%	25%
	30%	50%
Y	18%	25%
	20%	50%
Z	9%	25%
	10%	50%

जेड श्रेणी वर्तमान में वर्गीकृत नहीं है। विभिन्न श्रेणियों में शहरों को अपग्रेड करने और नये शहरों को जोड़ने के लिए मा0 उच्च न्यायालय स्वतंत्र होगा।

(सी) फर्नीचर और एयर कंडीशनर भत्ता

(क) न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक पांच साल में रु0 1.25 लाख का फर्नीचर अनुदान सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी द्वारा खरीद का प्रमाण/रसीद प्रस्तुत किये जाने के शर्त के साथ प्रदान किया जाएगा। उक्त अनुदान का लाभ उठाकर बंगलू विद्युत उपकरण भी खरीदे जा सकते हैं। कम से कम दो वर्ष की सेवा शेष रहने वाले न्यायिक अधिकारी को इस भत्ते के पात्र होंगे। अधिकारी द्वारा उपयोग किए जा रहे फर्नीचर को मूल्यहास पर खरीदने का विकल्प नए अनुदान या सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध होगा।

(ख) फर्नीचर अनुदान के अलावा, प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास पर प्रत्येक पांच साल में एक बार एक एयर कंडीशनर प्रदान किया जाएगा।

(ग) उपरोक्त फर्नीचर और एयर कंडीशनर भत्ता दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य होगा।

(घ) एयर कंडीशनर के संबंध में मानक, अमता आदि का निर्धारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(डी) आवासीय क्वार्टर - रखरखाव

न्यायिक अधिकारियों के आवासीय क्वार्टरों के उचित रखरखाव एवं इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, ब्रह्मई, सफाई कर्मचारियों और राजमिस्त्री की निर्वाह सेवाएं प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रत्येक जिला न्यायाधीश को दस लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर दो माह के अन्तर्गत धनराशि राज्य सरकार के न्याय विभाग द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

13. अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)/गृह यात्रा रियायत (एचटीसी)

(क) अवकाश यात्रा रियायत (गृह यात्रा रियायत के लिये नहीं) का लाभ उठाते समय 10 दिनों की अर्जित अवकाश का नकदीकरण (अधिकतम 60 दिनों के अधीन) प्रदान किया जाएगा। यह सेवानिवृत्ति के समय 300 दिन और दो साल के ब्लॉक में 30 दिन के नकदीकरण के अतिरिक्त होगा।

- (ख) अवकाश यात्रा रियायत की आवृत्ति के संबंध में, न्यायिक अधिकारियों की 3 साल के ब्लॉक में एक अवकाश यात्रा रियायत और एक गृह यात्रा रियायत का लाभ दिया जाना अनुमत्त होगा।
- (घ) सेवाविश्रुत न्यायिक अधिकारियों को गृह यात्रा रियायत का लाभ 3 साल के पहले ब्लॉक में 2 बार प्रदान किया जायेगा, परन्तु 3 साल का ब्लॉक परीक्षा के लिए निर्धारित अवधि के पूरा होते पर शुरू होगा (परीक्षा पूर्ण होने की घोषणा होने की आवश्यकता नहीं होगी)।
- (ङ) सभी न्यायिक अधिकारियों को हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी और प्रतिपूर्ति इस शर्त के अधीन की जाएगी कि टिकट या तो सीधे एयरलाइंस से या केन्द्र/राज्य सरकार से अधिकृत एजेंसी या अशोक देवस्त, धामर एण्ड लॉरी और आईओसीआईसीआई से खरीदे गए हों। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी को जोड़ा या हटाया जा सकता है।
- (च) अन्य विवरण जैसे यात्रा की श्रेणी, अग्रिम आदि राज्य सरकार के संबंधित नियमों/शासनादेशों से शासित होंगे।
- (ज) न्यायिक अधिकारियों को सेवाविश्रुति के बाद एक वर्ष भी अवधि के लिए भारत में कहीं भी अवकाश यात्रा रियायत को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है।
- (झ) सेवाविश्रुत न्यायिक अधिकारियों को अवकाश यात्रा रियायत / गृह यात्रा रियायत सुविधा अनुमत्त नहीं होगी।
- (ञ) न्यायिक अधिकारियों को अवकाश यात्रा रियायत/गृह यात्रा रियायत प्रयोजन के लिए केवल अतिरिक्त अवकाश का लाभ उठाने की अपरिहार्यता नहीं होगी और उन्हें दो दिनों की सीमा तक एरिक्स और सफिक्स के रूप में आकस्मिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति होगी।

1.4 चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा सुविधाएं

अनिवार्य चिकित्सा भत्ता

- (क) सेवारत न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 से नियत चिकित्सा भत्ता ₹0 3,000/- प्रतिमाह की दर से देय होगा।
- (ख) पेशनभोगियों और पारिवारिक पेशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 से नियत चिकित्सा भत्ता ₹0 4,000/- की दर से देय होगा।
- (ग) पारिवारिक पेशन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारियों के पति/पत्नी या अन्य आश्रित भी न्यायपालिका के पेशनभोगियों के समान चिकित्सा सुविधाओं/प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
- (घ) सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से संदर्भ की आवश्यकता नहीं होगी। सीधे तौर पर, पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों सहित न्यायिक अधिकारी सरकार द्वारा अधिभूषित/सूचीबद्ध निजी अस्पतालों/पैथोलॉजिकल लैब्स में परामर्श/उपचार के हकदार होंगे और सामान्य एचलित प्रक्रिया के अनुसार बिल जमा करके प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे।
- (ङ) न्यायिक अधिकारी या पेशनभोगी/ पारिवारिक पेशनभोगी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किये जाने अथवा पूर्व से भर्ती हों तो उसके इलाज के लिए जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के मामले में उच्च न्यायालय के महानिबंधक संबंधित अस्पतालों को साध पत्र भेजने के लिए सक्षम होंगे।
- (च) आंतरिक रोगी उपचार या कम या ज्यादा निरंतर उपचार की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियों के लिए किए गए व्यय की धनराशि को जिला न्यायाधीशों या उस रैंक के अन्य अधिकृत अधिकारी या उच्च न्यायालय के महानिबंधक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

- (ख) आपातकाल के मामले में, न्यायिक अधिकारी, सेवारत और सेवानिवृत्त और साथ ही पारिवारिक पेंशनभोगी किसी भी मजदूरी की निजी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं तथा सामान्य प्रक्रिया के अनुसार बिल जमा करके प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे यदि आवश्यक हो तो इस कार्य के लिये राख पत्र जारी किया जा सकता है।
- (ज) मान्यता प्राप्त/पैनलबद्ध अस्पताल द्वारा दिए गए अनुमान की प्रस्तुत करने पर, 80% अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, जो जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के महानिबंधक द्वारा अधिकृत समकक्ष बैंक के जिला न्यायाधीश द्वारा प्रारंभिक जांच के अधीन होगा। भेष राशि की प्रतिपूर्ति नाभित सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा या अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण किये जाने पर भी जाएगी। यदि किसी विशेष वस्तु के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रमाणन अधिकारी द्वारा संबंधित अस्पतालों में आम तौर पर ली जाने वाली दरों का परीक्षण किया जायेगा तथा भुगतान की मंजूरी देने से पहले उसकी जांच की जायेगी, अस्वीकृति की सीमा न्यूनतम होगी और अस्वीकृति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिला न्यायाधीश द्वारा नाभित सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच के लिए भेजे गए बिलों का निस्तारण उनके द्वारा प्राप्ति की तारीख से अधिकतम एक महीने की अवधि के भीतर कर दिया जायेगा।
- (झ) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और पारिवारिक पेंशन-भोगी जो दूसरे राज्य में निवासित हो गए हैं, उन्हें उस राज्य से चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अग्रिम का दावा करने की सुविधा होगी, जहां से वे पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- (ट) किसी सेवारत अधिकारी के दूसरे राज्य में (आधिकारिक या निजी उद्देश्य) दौरे या सेवानिवृत्त अधिकारी के सेवानिवृत्ति के बाद उस राज्य में निवासित होने पर आपातकालीन या अन्यथा की स्थिति में किसी भी सरकारी/सरकारी अधिगृहीत/मान्यता प्राप्त अस्पतालों/पैथोलॉजिकल लैब में कमरे के शुल्क/परीक्षण सहित उपचार की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी यद्यपि उक्त अस्पताल/लैब उस राज्य में मान्यता प्राप्त न हो जहां पर ऐसे अधिकारी सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हुए हैं।
- (ठ) मा0 उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री यह जांच करेगी कि क्या अधिगृहीत/पैनल में शामिल अस्पताल पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित न्यायिक अधिकारियों की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करते हैं और अतिरिक्त अस्पतालों/पैथोलॉजिकल लैबों को अधिगृहीत करने के लिए उस सीमा तक सरकार को प्रस्ताव भेजेगी जहां तक यह आवश्यक समझा जाएगा।
- (ड) धन की कमी के कारण बिलों को व्यवहृत करने और मंजूरी देने में देरी से बचने के लिए रजिस्ट्री मा0 उच्च न्यायालय अतिरिक्त धनराशि जारी करने का प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र राज्य सरकार के न्याय विभाग को प्रेषित करेंगे और वित्त विभाग इस मद में न्याय विभाग/उच्च न्यायालय को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में तत्काल कार्यवाही करेंगे।
- (ढ) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित अन्य चिकित्सीय राहतों के सम्बन्ध में "सी0एस0सी0डी0जे0" समिति की सिफारिशों के आधार पर अलग से आदेश जारी किये जायेंगे।

15. समाचार पत्र एवं पत्रिका भत्ता

(क) समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति जिला न्यायाधीशों, समस्त स्तर (दो समाचार पत्र और दो पत्रिकाएं) के लिए 1000/- रुपये प्रतिमाह और सिविल न्यायाधीशों, जूनियर और सीनियर डिबीजन (दो समाचार पत्र और एक पत्रिका) के लिए 700/- रुपये प्रतिमाह होगी।

(ख) प्रतिपूर्ति स्व-प्रमाणपत्र के आधार पर जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक अर्धवार्षिक आधार पर होगी।

(ग) उपरोक्त दरों पर भत्ता दिनांक 01.01.2020 से देय होगा।

17. वस्त्र भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 से तीन साल में एक बार 12,000 रुपये वस्त्र भत्ता देय होगा।

18. प्रशासनिक कार्य के लिए विशेष वेतन

प्रशासनिक कार्य करने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिए विशेष वेतन देय होगा:-

(क) जिला जज रैंक के सभी न्यायिक अधिकारीगण यथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, एमओसीडीओ के पीठासीन अधिकारी, कामर्शियल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी तथा उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में नियुक्त स्पेशल ऑफिसर(विजिलेंस), महानिबंधक, वरिष्ठ निबंधक, जिला जज रैंक के अन्य न्यायिक अधिकारीगण सहित राज्य के अन्दर एवं बाहर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त जिला जज रैंक के न्यायिक अधिकारीगण: रु 7000/- प्रतिमाह।

(ख) प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सहित अन्य अतिरिक्त जिला न्यायाधीशगण जिन्हें प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है तथा उनके द्वारा सामान्य रूप से न्यायालय के लिए निर्धारित कार्यवधि के बाद भी समय बिताना पड़ता है:- रु. 3500/- प्रति माह

(ग) स्वतंत्र प्रशासनिक जिम्मेदारियों वाले विशेष न्यायालयों और अधिकरणों के पीठासीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश:- रु. 3500/- प्रति माह

(घ) सीजेएम और प्रधान वरिष्ठ, कनिष्ठ सिविल न्यायाधीशगण और अन्य न्यायिक अधिकारीगण, जिनके पास, दाखिला करने की शक्तियों वाली स्वतंत्र न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी होने के कारण प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं:- रु. 2000/- प्रति माह

(ङ) उपरोक्त विशेष वेतन दिनांक 01.01.2019 से देय होंगे।

19. सत्कार भत्ता

(क) न्यायिक अधिकारियों को सत्कार भत्ता निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध होगा:-

जिला न्यायाधीश(समस्त स्तर)- रु. 7,800/- प्रति माह

सिविल जज(सीनियर डिबीजन)- रु. 5,800/- प्रति माह

सिविल जज(जूनियर डिबीजन)- रु. 3,800/- प्रति माह

(ख) उक्त अतिथि सत्कार भत्ता दिनांक 01.01.2016 से देय होगा।

(ग) न्यायिक अधिकारियों की निम्नलिखित श्रेणियों को उनकी प्रतिष्ठा या उनके द्वारा संभाली गई अतिरिक्त जिम्मेदारियों के आधार पर रु. 1,000/- (एक हजार) अधिक मिलेंगे:-

- (1) जिलेशहरों में प्रशासन के प्रभारी जिला न्यायाधीश।
 - (2) सपन रेड और सुपर हाइम-स्केल में जिला न्यायाधीश।
 - (3) न्यायिक अकादमी/न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक/सदस्य सचिव, राज्य विधि सेवा प्राधिकरण।
 - (4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट।
- (घ) सैनित्त्व न्यायिक अधिकारियों को अतिथि सल्लार भत्ता देय नहीं होगा।

20. टेलीफोन सुविधा

न्यायिक अधिकारियों को निम्नलिखित टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:-

आवृत्ति टेलीफोन (लैंडलाइन):

(क) लैंडलाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सुविधा (समान या विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा) न्यायिक अधिकारियों के आवास पर अनुमत उपयोगकर्ता के साथ निरुद्धांतर प्रदान की जाएगी:-

जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर)

: रु. 1500/- प्रति माह

सिविल जज (जूनियर और सीनियर डिवीजन)

: रु. 1000/- प्रति माह

इसमें किराया, कॉल (स्थानीय और एसटीडीसीडी दोनों) और इंटरनेट का उपयोग शामिल है।

(ख) उन स्थानों पर जहां ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां निम्नवत् उपयोग अनुमत्य होगा:-

जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर)

: रु. 1000/- प्रति माह

सिविल जज (जूनियर और सीनियर डिवीजन)

: रु. 750/- प्रति माह

इसमें किराया और कॉल (स्थानीय और एसटीडीसीडी दोनों) शामिल हैं।

मोबाइल फोन

(क) इंटरनेट के साथ मोबाइल फोन (हैंडसेट) का प्रावधान इस प्रकार होगा:-

जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर)

: रु. 30,000/-

सिविल जज (जूनियर और सीनियर डिवीजन)

: रु. 20,000/-

और उपयोग के लिए निम्नवत् धनराशि इंटरनेट डेडा पैकेज सहित अनुमत्य होगा:

जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर)

: रु. 2000/- प्रति माह

सिविल जज (जूनियर और सीनियर डिवीजन)

: रु. 1500/- प्रति माह

(ख) न्यायिक अधिकारियों के अतुरोध पर, मोबाइल फोन हैंडसेट को तीन साल में एक बार बदला जाएगा।

(ग) न्यायिक अधिकारियों को पुराने मोबाइल फोन हैंडसेट को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित कीमत पर रखने का विकल्प दिया जाएगा।

कार्यालय टेलीफोन:

कार्यालय में टेलीफोन कनेक्शन के संबंध में वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।

21. स्थानांतरण अनुदान

(क) न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण पर एकतुल्य स्थानांतरण अनुदान एक महीने के मूल वेतन के बराबर होगा।

(ख) यदि स्थानांतरण 20 किलोमीटर या उससे कम दूरी पर या उसी शहर के भीतर होता है (यदि इसमें निवास का वास्तविक परिवर्तन शामिल है), तो स्थानांतरण अनुदान मूल वेतन का 1/3 होगा।

(ग) व्यक्तिगत वस्तुओं के परिवहन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से जारी ओ०एम० सं०-19030/2017-ई. IV दिनांक 13.07.2017 लागू होगा।

(घ) सड़क मार्ग से परिवहन के मामले में अनुमन्य धनराशि, 50/- रुपये प्रति कि०मी० इसमें लोडिंग और अनलोडिंग के लिए श्रम शुल्क सम्मिलित है, या वास्तविक खर्च राशि, दोनों में जो भी कम हो, होगी। महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पर उक्त राशि 25% बढ़ जाएगी।

(ङ) उक्त सुविधा/व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 से लागू होंगी।

(च) जिन अधिकारियों के स्थानांतरण दिनांक 01.01.2016 के बाद हुए है और उनके स्थानांतरण अनुदान के दावों को संशोधन के पूर्व वेतनमान के अनुसार भुगतान किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2016 से संशोधित वेतन के आधार पर अंतर की धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

2- शासनादेश निर्गत होने से पूर्व की अवधि के लिए उपर्युक्त भत्तों/सुविधाओं का उपयोग करने के लिए यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी की स्वीकृति एवं निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी तथा पूर्व में शासन के आदेशों के अंतर्गत इन भत्तों/सुविधाओं के संबंध में किये गये भुगतान का यथावश्यक समायोजन किया जायेगा। न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों की बकाया राशि की गणना एवं एक मुश्त नकद भुगतान दिनांक 29.02.2024 से पूर्व करने हेतु सक्षम/अधिकृत स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3- उपरोक्त भत्ते और सुविधाएं राज्य में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत न्यायिक अधिकारियों पर भी लागू होंगे तथा उपरोक्त भत्तों/सुविधाओं के संबंध में शासन द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश, जो भी हों, इस सीमा तक संशोधित समझें जायेंगे।

4- उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-72/दस-2024, दिनांक 28 फरवरी, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
11/2/24
(डॉ० देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 110 (1)/दो-4-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

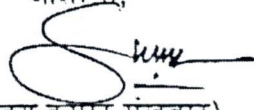
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(3) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) अपर मुख्य सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

(5) अपर मुख्य सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।

- (6) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन ।
- (7) समस्त जिला न्यायाधीश (द्वारा महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)
- (8) निदेशक, कोषागार / पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- (9) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- (10) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, कचहरी रोड, प्रयागराज ।
- (11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12; वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, वित्त (सामान्य) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- (12) इरला चेक अनुभाग / इरला चेक (वेतन पर्ची-1,2) प्रकोष्ठ, उ०प्र० शासन ।
- (13) श्री संजय कुमार त्यागी, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
- (14) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
विशेष सचिव ।